परिशिष्ट–अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1657 सदन में उत्तर की तिथि 11/3/2022 उत्तरांश (क) एवं (ग)

सागर जिले में वर्ष 2019-20 से स्वीकृत वितरित ऋण एवं प्रदाय अनुदान की जानकारी

क्र.	योजना का नाम/घटक	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22	
		ऋण वितरण में लाभान्वित हितग्राही	प्रदाय अनुदान (लाख रू. में)	ऋण वितरण वितरण में लाभान्वित हितग्राही	प्रदाय अनुदान (लाख रू. में)	ऋण वितरण में लाभान्वित हितग्राही	प्रदाय अनुदान (लाख रू. में)
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना						
	अ. हाथकरघा संचालनालय	25	29.11	04	3.75	--	--
	ब. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	19	26.69	--	--	--	--
	स. माटीकला बोर्ड	5	5.40	01	1.20	--	--
	योग	49	61.2	5	4.95		
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना योजना						
	अ. हाथकरघा संचालनालय	02	0.30	--	--	--	--
	ब. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	28	4.20	--	--	--	--
	स. माटीकला बोर्ड	01	0.15	--	--	--	--
	योग	31	4.65				

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, भोपाल

प्रश्न सं. [क्र. 1657]

[11/3/2022]

परिशिष्ट-ब

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1657
विधानसभा के उत्तर की तिथि 11/3/2022 प्रश्नांश-ब
योजनाओं में अनुदान संबंधी प्रावधान

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना -

वित्तीय सहायता
(क) मार्जिनमनी सहायता
(अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.00 लाख)
(ब) बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)/महिला अल्पसंख्यक/नि:शक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2 लाख) ।
(स) अतिरिक्त प्रावधान-
(1) विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 3.00 लाख)।
(2) भोपाल गैस पीडित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.00 लाख) की पात्रता है।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना -
वित्तीय सहायता
(क) मार्जिनमनी सहायता
(अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत
(ब) बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)/महिला अल्पसंख्यक/नि:शक्तजन हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 15000) ।

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, भोपाल